

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक-5 एवं एकलव्य भवन
उपायुक्त (प्रशिक्षण एवं क्वालिटी) कार्यालय-मुख्य भवन ब्लॉक-6, प्रथम तल,
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
फोन-0141-2706069 rajssaquality@gmail.com

क्रमांक:-रा.स्कू.शि.प./जय/गुणवत्ता/प्रबल/03654/2025-26/

दिनांक

21वीं सदी के कौशल एवं जीवन कौशल विकास (PRABAL कार्यक्रम)

Program to Recognize Abilities & Build up Adaptive Life Skills
of 21st Century

दिशा-निर्देश सत्र 2025-26

सार संक्षेप:

यह दिशा-निर्देश कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत 18798 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में 21 वीं सदी के कौशलों के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के लिए संचालित "प्रबल" कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में जारी किए जा रहे हैं।

यह कार्यक्रम समग्र शिक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना में 18798 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को 21 वीं सदी के कौशलों से सशक्त बनाने व नेतृत्व कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से संचालित किया जाना है।

इन दिशा-निर्देशों में प्रत्येक स्तर पर प्रस्तावित गतिविधियों का संदर्भ, संचालन प्रक्रिया, उपयोगी सामग्री, अधिकारियों की भूमिका, उपलब्ध बजट तथा मॉनिटरिंग और दस्तावेजीकरण के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है।

इस कार्यक्रम की विद्यालय, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर होने वाली गतिविधियों के आधार पर राज्य स्तर का कार्यक्रम मॉक-विधानसभा के रूप में आयोजित किया जाएगा जहाँ प्रत्येक जिले से चयनित विद्यार्थी प्रतिनिधि के रूप में राज्य के समस्त 18798 विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे और समकालीन विषयों पर चर्चा करेंगे और अपनी बात कहेंगे।

परिचय:

राजस्थान जैसे राज्यों में, कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों का एक बड़ा हिस्सा ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है जहाँ वे किशोरावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ रहे हैं। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत यह महसूस



किया जा रहा है कि विद्यार्थियों को अपने विषयों में दक्षता एवं क्षमता हासिल करने के साथ-साथ इस जटिल और तेज़ी से बदलती दुनिया में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी कौशलों पर भी दक्ष बनने की आवश्यकता है। वर्तमान अकादमिक चर्चाओं में इन्हें 21 वीं सदी के कौशल के रूप में पहचाना जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 स्कूली पाठ्यक्रम में जीवन कौशल और 21 वीं सदी की दक्षताओं को एकीकृत करने की ज़रूरत पर प्रकाश डालती है, जो रटने की शिक्षा से आगे बढ़कर समग्र विकास की ओर ले जाती है।

किशोरों की दुनियाँ की इन चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए समग्र शिक्षा अभियान द्वारा राज्य के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए 21 वीं सदी के कौशल पर एक समर्पित **“प्रबल कार्यक्रम”** (PRABAL-Program to Recognize Abilities & Build up Adaptive Life Skills of 21st Century) लाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जीवन कौशल (जैसा कि WHO द्वारा पहचाना गया है), वित्तीय साक्षरता, नेतृत्व, जलवायु परिवर्तन पर एक्शन, नागरिकता, नैतिक मूल्य और टीम वर्क शामिल है।

यह कार्यक्रम सीधे उन बुनियादी क्षमताओं पर काम करने के अवसर देता है जिनकी विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विकास, भविष्य की रोज़गार क्षमता बढ़ाने और विचारशील नागरिक बनने के लिए ज़रूरत है।

स्कूल स्तर पर इस कार्यक्रम का उद्देश्य है पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान और वास्तविक जीवन की चुनौतियों के बीच की खाई को पाटना, तथा विद्यार्थियों को सोच समझकर निर्णय लेने, तनाव का प्रबंधन करने, प्रभावी सहयोग करने तथा अपने समुदायों में जिम्मेदारीपूर्ण कार्रवाई करने की क्षमता प्रदान करने के अवसर उपलब्ध करना।

इसके अलावा, यह कार्यक्रम NEP 2020 लक्ष्यों, समग्र शिक्षा अभियान की प्राथमिकताओं और सतत विकास लक्ष्यों (विशेष रूप से SDG 4.7 और SDG 13) को प्राप्त करने के लिए स्कूल की सीखने सिखाने की प्रक्रिया को मजबूत करता है।

उद्देश्य

“प्रबल” कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (पैरा 4.4, 4.6, 4.23), राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन तथा यूनिसेफ के जीवन कौशल शिक्षा ढाँचे के अनुरूप तैयार किया गया है।

“प्रबल” कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- विद्यार्थियों को 21 वीं सदी के महत्वपूर्ण कौशलों, जीवन कौशलों, नेतृत्व कौशल एवं नागरिकता आधारित क्षमताओं में सशक्त बनाना है।
- विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करते हुए उन्हें भविष्य की सामाजिक, भावनात्मक एवं व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना।
- समावेशी, सुरक्षित एवं भविष्योन्मुख शिक्षण वातावरण का निर्माण करना, जिससे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से विद्यार्थियों का सशक्तिकरण हो।
- राज्य, जिला, ब्लॉक और विद्यालय स्तर पर गतिविधियों के माध्यम से सीखने के परिणामों में सुधार और विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाने हेतु मार्गदर्शन करना।

बजट विवरण सत्र 2025-26

Activity	Physical	Unit cost (Rs. in lakh)	Fin. (Rs. in lakh)
State Specific Innovative Programme	18798	0.0075	140.99
TOTAL			140.99

लेखा संबंधी नियम

- सम्बन्धित जिले द्वारा प्रबंध पोर्टल पर गतिविधियों के व्यय की एन्ट्री-संबंधित पीएबी बिन्दु संख्या के सम्मुख मिलान कर प्रबंध पोर्टल पर गतिविधियों के व्यय की एन्ट्री किया जाना सुनिश्चित करें। एन्ट्री से पूर्व किये गये व्यय की पूर्णता पुष्टि कर लें। त्रुटि पूर्ण एन्ट्री हेतु व्यक्तिशः स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिस मद के लिये राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में किया जाये।
- जिले द्वारा व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

गतिविधि संचालन का कवरेज एवं गतिविधियों की रूपरेखा

राज्य के समस्त 18798 माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 की समस्त विद्यार्थी **“प्रबल कार्यक्रम”** का हिस्सा होंगे। प्रबल कार्यक्रम अंतर्गत हम जिला, ब्लॉक, एवं विद्यालय स्तर पर निम्नलिखित 14 थीम पर गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा, इनका विस्तृत विवरण एवं संचालन की प्रक्रिया की जानकारी पृथक से विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए तैयार एक पैकेज के माध्यम से साझा की जाएगी। 14 थीम पर की गई गतिविधियों से बनी समझ के आधार पर राज्य स्तर पर मॉक-विधानसभा में विद्यार्थियों का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें विद्यार्थी अपने चिंतन एवं बनी समझ के आधार पर प्रस्तुतीकरण करेंगे।


विद्यालय, ब्लॉक और जिला स्तर पर आगामी चरण के लिए विद्यार्थियों की पहचान एवं चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत पाँच सदस्यीय मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति निम्नानुसार गठित की जाएगी:

विद्यालय स्तर पर	ब्लॉक स्तर पर	जिला स्तर पर
<ul style="list-style-type: none">संस्थाप्रधानदो शिक्षक/व्याख्याता (महिला शिक्षक को अवश्य शामिल करें) (2 Teachers)दो विद्यार्थी (एक बालिका एवं एक बालक विद्यार्थी) (2 Students, Boy+Girl)	<ul style="list-style-type: none">मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – (CBEO)एक प्राचार्य – (Principal)एक व्याख्याता – (Lecturer)एक बालिका एवं एक बालक विद्यार्थी – (Boy + Girl Student)	<ul style="list-style-type: none">मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/शिक्षा अधिकारी – (CDEO)प्राचार्य (डाइट) – (Principal DIET)अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक – (ADPC)प्रधानाचार्य PMSHRI विद्यालय – (Principal PM SHRI)एक बालिका एवं एक बालक विद्यार्थी – (Boy + Girl Student)

यह समिति निर्धारित चयन प्रपत्र के आधार पर तथा रचनात्मक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों का अवलोकन करेगी और उनका चयन अगले चरण के कार्यक्रम में सहभागिता के लिए करेगी।

इस चयन प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करने का उद्देश्य केवल प्रतिनिधि चुनना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित करना भी है। वे चयनित विद्यार्थियों को अपने प्रतिनिधि के रूप में देखेंगे, जो अंतिम चरण में आयोजित मॉक-विधानसभा सत्र में उनके विचारों और दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करेंगे।

मॉक-विधानसभा सत्र की पूर्व तैयारी के रूप में, विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को विधायिका एवं विधानसभा सत्रों से संबंधित सामान्य जानकारी प्रदान की जाएगी, जिससे वे विधानसभा की प्रक्रिया, भूमिका और कार्यप्रणाली को समझ सकें तथा आगामी गतिविधियों में आत्मविश्वास से भाग ले सकें।



21 वीं सदी के कौशल और नागरिकता कौशल: प्रबल कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले जीवन कौशल: प्रबल कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में 21 वीं सदी के कौशल, जीवन कौशलों एवं नागरिकता आधारित क्षमताओं/कौशलों का विकास किया जाएगा, जिससे वे आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बन सकें। ये कौशल उनके व्यक्तिगत जीवन, भविष्य के करियर और समाज के प्रति भूमिका निभाने में मदद करेंगे। नीचे दिए गए कौशलों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है—जीवन जीने हेतु कौशल, कार्य/रोज़गार हेतु कौशल, और सतत विकास हेतु कौशल-

जीवन जीने हेतु कौशल (Skill for Life)	काम/कार्य/रोजगार हेतु कौशल (Skill for Work)	सतत विकास हेतु कौशल (Skill for Sustainable Development)
1. स्व-जागरूकता(Self-Awareness) 2. सम्प्रेषण(Communication Skills) 3. अंतवैयक्तिक संबंध (Empathy) 4. टीम वर्क (Team work) 5. समालोचनात्मक चिंतन(Critical Thinking/) 6. समस्या समाधान(Decision-Making) 7. रचनात्मक चिंतन(Creativity) 8. जुझारूपन (Resilience/ Coping with Stress) 9. नेतृत्व कौशल (Leadership Skills) 10. नागरिकता कौशल (Citizenship Skills) 11. नैतिक मूल्य (Ethical Values)	12. वित्तीय साक्षरता (Financial Literacy) 13. डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy)	14. जलवायु परिवर्तन (Climate Change)

कार्ययोजना

प्रबल कार्यक्रम के क्रियान्वयन की कार्ययोजना निम्नानुसार होगी:

गतिविधि	संभावित कार्यक्रम का माह	सहभागिता
तैयारी, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण चरण		
शिक्षकों हेतु हैंडबुक निर्माण कार्यशाला	मई एवं जून 2025	राज्य गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, यूनिसेफ, आर.ई.आई पार्टनर्स
वेबिनार डाइट, जिला, ब्लॉक अधिकारियों एवं PEEO/UCEEO हेतु	प्रथम सप्ताह जून 2025	राज्य स्तर
वेबिनार कक्षा 9 से 12 के अध्यापकों हेतु	तृतीय सप्ताह जून 2025	जिला स्तर
कार्यक्रम हेतु डिजिटल पोस्टर लांच	जुलाई	राज्य स्तर
विद्यालय स्तर पर गतिविधियों का आयोजन एवं विद्यार्थी सहभागिता		
विद्यार्थियों तक सूचनाओं को भेजा जाना विद्यार्थियों की एकल एवं सामूहिक रूप	15 जुलाई 2025 तक	जिला/ब्लॉक/विद्यालय स्तर

गतिविधि	संभावित कार्यक्रम का माह	सहभागिता
से भागीदारी सुनिश्चित करना।		
कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी के साथ शिक्षक हैंडबुक के अनुसार जीवन कौशल एवं 21 वीं सदी के कौशलों आधारित सत्रों का आयोजन करेंगे एवं विद्यार्थियों द्वारा गतिविधि की तैयारी की जायेगी।	जुलाई -अगस्त	विद्यालय (शिक्षक एवं विद्यार्थी)
समस्त मा0/उ0 मा0 राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा गतिविधि की प्रस्तुति करना।	सितम्बर	विद्यालय (शिक्षक एवं गार्गी मंच के साथ मिलकर अन्य सहयोगी साथियों की टीम द्वारा श्रेष्ठ प्रस्तुतियों का प्रतिनिधित्व करना)
विद्यालय स्तरीय मुल्यांकन /चयन समिति एवं गार्गी मंच के सदस्यों द्वारा समस्त प्रस्तुतियों की समीक्षा कर ब्लॉक स्तर की गतिविधि हेतु तय मापदंडों के आधार पर अपने प्रतिनिधि का चयन किया जाएगा	सितंबर प्रथम सप्ताह तक	चयनित प्रतिनिधि आगामी चरण के लिए अपनी तैयारी करेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को ऑनलाईन कोर्स के लिंक भी उपलब्ध कराए जाएंगे
ब्लॉक एवं जिला स्तर पर प्रतिनिधि चयन एवं समीक्षा चरण		
ब्लॉक स्तर पर विद्यालयों से चयनित प्रतिनिधियों के साथ गतिविधि का आयोजन। यह आयोजन यथासंभव ब्लॉक के पीएम श्री विद्यालय में आयोजित किया जाएगा।	सितंबर के अंतिम सप्ताह तक	ब्लॉक के पीएम श्री विद्यालय
सभी ब्लॉक से प्रस्तुतियों की समीक्षा कर गतिविधि में भाग ले रहे विद्यार्थी का चयन ब्लॉक स्तरीय मुल्यांकन/चयन समिति द्वारा तय मापदंडों के आधार पर विद्यार्थी प्रतिनिधियों का चयन कर जिला स्तर हेतु भेजा जाएगा।	अक्टूबर 2025 का प्रथम सप्ताह	ब्लॉक स्तर
जिला स्तर पर विद्यालयों से चयनित प्रतिनिधियों के साथ गतिविधि का आयोजन। यह आयोजन यथासंभव ब्लॉक (जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के नजदीकी) के पीएम श्री विद्यालय में आयोजित किया जाएगा।	अक्टूबर 2025 का तृतीय सप्ताह	जिला मुख्यालय का PM SHRI विद्यालय
जिला स्तर पर प्रस्तुतियों की समीक्षा	अक्टूबर 2025 का अंतिम	जिला स्तर पर चयनित

गतिविधि	संभावित कार्यक्रम का माह	सहभागिता
कर गतिविधि में भाग ले रहे विद्यार्थी का चयन जिला स्तरीय मूल्यांकन/चयन समिति द्वारा ही तय मापदंडों के आधार पर किया जाएगा एवं प्रतिनिधियों का चयन कर राज्य स्तर के कार्यक्रम हेतु हेतु भेजा जाएगा।		प्रतिनिधि राज्य स्तर के कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति के लिए तैयारी करेंगे।
राज्य स्तर हेतु तैयारी एवं राज्य स्तर कार्यक्रम		
प्रत्येक जिले पर चिह्नित मेंटर शिक्षकों/व्याख्याताओं द्वारा जिले से राज्य स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में भागीदारी की तैयारी हेतु चयनित प्रतिनिधि विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना।	नवम्बर	जिला स्तर पर मेंटर शिक्षकों के मार्गदर्शन में चयनित प्रतिनिधि राज्य स्तर के कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति के लिए तैयारी करेंगे।
राज्य स्तर पर मोक-विधानसभा सत्रों का आयोजन करवाना।	नवम्बर	राज्य स्तर
शीर्षक: राजस्थान युवा सभा: 21 वीं सदी के कौशल का निर्माण चयनित विद्यार्थियों द्वारा मॉक-विधानसभा, राजस्थान के अंतर्गत कार्यक्रम के तहत विकसित हुई समझ, कौशलों एवं दक्षताओं की विभिन्न सामाजिक विषयों के संदर्भ में प्रस्तुति।	नवम्बर	राज्य स्तर

नोट-प्रत्येक स्तर पर कार्यक्रम के संचालन हेतु एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (एसओपी) राज्य स्तर से जारी की जायेंगी। —

उत्तरदायित्व

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका

- स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए प्रभारी नियुक्त करना।
- जिले में प्रबल कार्यक्रम के तहत विद्यालयों में प्रबल कार्यक्रम के SOP अनुसार सत्रों का आयोजन निश्चित समयावधि में करवाना।
- जिला स्तर की मासिक समीक्षा बैठक में आवश्यक रूप से कार्यक्रम के संचालन, प्रगति एवं उपलब्धियों पर चर्चा।
- सभी ब्लॉक से प्राप्त चयनित प्रस्तुतियों की समीक्षा करते हुए प्रत्येक जिले से 4 विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें राज्य स्तर की गतिविधि के लिए भेजा जाना सुनिश्चित करना।

- विद्यालय अवलोकन के दौरान कक्षावार (कक्षा 9 से 12) के विद्यार्थियों से संपर्क कर चर्चा करें एवं जानें कि प्रस्तावित गतिविधियों के अंतर्गत कौनसी गतिविधि चल रही है, विद्यार्थियों के अनुभव सुनें, गतिविधि के दौरान आ रही चुनौतियों पर बात करें एवं अवलोकन रजिस्टर में अंकित कर अध्यापक एवं प्रिंसिपल को अवगत करावें।
- जिला स्तरीय कार्यक्रम में विद्यार्थियों की सुरक्षा का विशेषकर बालिकाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना सुनिश्चित करना।
- जिला स्तर पर शिक्षकों का एक मेंटोर ग्रुप बनाना जो विद्यार्थियों को अपेक्षित मार्गदर्शन प्रदान कर सके।
- ब्लॉक एवं जिला स्तर की समस्त गतिविधियों का आयोजन संबंधित पीएमश्री विद्यालयों में करवाना।
- जिला स्तर पर मोक - विधानसभा सत्रों का आयोजन करवाना।

डाइट की भूमिका

- जिले में प्रबल कार्यक्रम की मोनिटरिंग करना।
- कार्यक्रम के तहत विद्यालय अवलोकन के दौरान कक्षावार (कक्षा 9 से 12) के विद्यार्थियों से संपर्क कर चर्चा करें एवं जानें कि प्रस्तावित गतिविधियों के अंतर्गत कौनसी गतिविधि चल रही है, विद्यार्थियों के अनुभव सुनें, गतिविधि के दौरान आ रही चुनौतियों पर बात करें एवं अवलोकन रजिस्टर में अंकित कर अध्यापक एवं प्रिंसिपल को अवगत करावें।
- ब्लॉक स्तर के प्राप्त केस स्टडी को फाइनल कर राज्य स्तर पर प्रेषित करना। केस स्टडी का प्रारूप परिषद स्तर से उपलब्ध कराया जाएगा।
- जिला स्तर पर विद्यार्थियों का चयन

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की भूमिका

- स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए प्रभारी नियुक्त करना।
- ब्लॉक स्तरीय गतिविधियों का आयोजन नियमानुसार एवं निर्धारित समय पर करवाना।
- ब्लॉक में प्रबल कार्यक्रम के तहत विद्यालयों में प्रबल कार्यक्रम के SOP अनुसार सत्रों का आयोजन निश्चित समयावधि में करवाना।
- ब्लॉक स्तर की मासिक समीक्षा बैठक में आवश्यक रूप से कार्यक्रम के संचालन, प्रगति एवं उपलब्धियों पर चर्चा।
- विद्यालयों से प्राप्त चयनित प्रस्तुतियों की समीक्षा करते हुए प्रत्येक ब्लॉक से 2 विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें जिला स्तर की गतिविधि के लिए भेजा जाना सुनिश्चित करना।
- जिला स्तर की गतिविधि में भाग लेने के लिए जाने वाले विद्यार्थियों विशेषकर बालिकाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना सुनिश्चित करना।

- विद्यालय अवलोकन के दौरान कक्षावार (कक्षा 9 से 12) विद्यार्थियों से संपर्क कर चर्चा करें एवं जानें कि प्रस्तावित गतिविधियों के अंतर्गत कौनसी गतिविधि चल रही है, विद्यार्थियों के अनुभव सुनें, गतिविधि के दौरान आ रही चुनौतियों पर बात करें एवं अवलोकन रजिस्टर में अंकित कर अध्यापक एवं प्रिंसिपल को अवगत करावें।

पीईईओ की भूमिका

- परिषद् द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्कूलों की मॉनिटरिंग करना ।
- पीईईओ स्तर की बैठकों में “प्रबल” कार्यक्रम की समीक्षा करना एवं रणनीति तैयार करना एवं क्रियान्वयन करना ।
- पीईईओ क्षेत्र के समस्त विद्यालयों में प्रबल कार्यक्रम के SOP अनुसार सत्रों का आयोजन निश्चित समयावधि में करवाना ।
- प्रबल कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रशिक्षण/ बैठकों में आवश्यक रूप से भागीदारी दें ।
- रिपोर्टिंग फॉर्मेट/गूगल फॉर्म भरना ।
- अपने अवलोकन के आधार पर अपने उच्च अधिकारियों को सटीक प्रतिक्रिया देना ।
- व्हाट्स अप समूह बनाना एवं गतिविधियों के साक्ष्यों को साझा करना ।

संस्थाप्रधान की भूमिका

- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मॉनिटरिंग करना ।
- गार्गी मंच की सुगमकर्ता को कार्यक्रम प्रभारी के रूप में नामित करना ।
- कार्यक्रम के आयोजन हेतु रणनीति तैयार करना एवं क्रियान्वयन करना ।
- प्रबल गतिविधियों के संचालन हेतु प्रभारी शिक्षक का चयन करना । इस कार्य हेतु ग्रेडवार शिक्षकों को नामित करना और नामित शिक्षकों के साथ बैठक कर सत्र संचालन की योजना बनाना ।
- सत्रों का टाइम-टेबल तैयार करना । अपेक्षा है कि एक कक्षा के साथ एक सप्ताह में दो दिन जीवन कौशल गतिविधियों का आयोजन हो ।
- विद्यालय स्तर पर सभी गतिविधियों का आयोजन निश्चित समयावधि के साथ गुणवत्तापूर्वक पूर्ण हो, सुनिश्चित करना ।
- शिक्षकों से चर्चाकर सत्रों के लिए आवश्यक समय, स्थान एवं संसाधनों की उपलब्धता को समझना ।
- शिक्षकों के साथ इस कार्यक्रम को लेकर समीक्षात्मक चर्चा करना ।
- गार्गी मंच की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना ।
- ब्लॉक स्तर पर आयोजित गतिविधियों हेतु विद्यार्थियों के चयन में गार्गी मंच के सदस्यों व सहयोगी साथियों के दल से करना ताकि नेतृत्व कौशल का मौका मिले ।
- विद्यालय की चयनित प्रस्तुतियों की समीक्षा करते हुए 2 विद्यार्थियों (1 छात्र + 1 छात्रा) की पहचान कर उन्हें ब्लॉक स्तर की गतिविधि के लिए भेजा जाना सुनिश्चित करना ।

- ब्लॉक स्तर की गतिविधि में भाग लेने के लिए जाने वाले विद्यार्थियों विशेषकर बालिकाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना सुनिश्चित करना।
- सत्रों के आयोजन के पश्चात् शिक्षकों से रिपोर्टिंग फॉर्मेट/गूगल फॉर्म आवश्यक रूप से भरवाना।
- “प्रबल” कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रशिक्षणों/ समीक्षात्मक बैठकों में भागीदारी करना।

शिक्षक की भूमिका

- प्रबल कार्यक्रम के तहत सभी 14 थीम /विषयों पर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के साथ निश्चित समयावधि में सत्रों का आयोजन करें।
- सत्रों के आयोजन पूर्व शिक्षक हैण्ड बुक को पढ़कर व्यवस्थित तैयारी करें।
- जीवन कौशल की गतिविधियों/सत्रों के दौरान सभी विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करें।
- विद्यार्थियों के साथ जीवन कौशलों के सत्र लेने के दौरान शिक्षक प्रशिक्षण मोड्यूल/हैंडबुक में दिए गए चरणों का आवश्यक रूप से फॉलो करें।
- सत्रों के दौरान थीम से संबन्धित विद्यार्थियों को अनुभवों को शेयर करने का अवसर उपलब्ध कराएँ।
- समस्त गतिविधियों के आयोजन के तुरंत बाद गूगल फॉर्म को आवश्यक रूप से ऑनलाइन भरें।
- सत्रों के फोटोज और वीडियो (शॉर्ट वीडियो) पीईईओ को आवश्यक रूप से शेयर करें।
- सभी गतिविधियों के संचालन में गार्गी मंच की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें।
- ब्लॉक स्तर पर आयोजित गतिविधियों में सहभागिता हेतु लिए विद्यार्थियों का चयन गार्गी मंच के सदस्यों द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- जीवन कौशलों गतिविधियों के पश्चात् विद्यार्थियों को विभिन्न मंच उपलब्ध करवाएँ जहाँ वे अपने अनुभवों को रोचक तरीके से प्रस्तुत कर सकें।
- सत्रों के दौरान तैयार की गई सामग्री (चार्ट, पोस्टर, अनुभव लेखन, चित्र) को विद्यालय में चस्पा करें। (एक प्रबल वाल तैयार करें)
- विद्यालय स्तर से कुछ अच्छी केस स्टडी निर्धारित फॉर्मेट में विद्यालय में ,शिक्षकों व विद्यार्थियों के सहयोग से लिखा जाना सुनिश्चित करें।
- गार्गी मंच के सदस्यों को प्रत्येक गतिविधि का प्रतिवेदन लिखने के लिए प्रेरित करना एवं उन्हें समुचित मार्गदर्शन देना।
- प्रबल कार्यक्रम के तहत आयोजित शिक्षकप्रशिक्षण/ बैठकों में आवश्यक रूप से भागीदारी दें।

मॉनिटरिंग एवं अभिलेख संधारण -

- प्रत्येक विद्यालय, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम के प्रभारी के लिए एक व्यक्ति को नामित किया जावे।
- प्रत्येक चरण पर अगले चरण के लिए विद्यार्थियों का चयन गार्गी मंच व सहयोगी साथियों के दल द्वारा तय मानदंडों के अनुसार किया गया हो।

- विद्यालय, ब्लॉक स्तर पर गतिविधि की मॉनिटरिंग राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् एवं डाइट के सक्षम अधिकारियों एवं संबंधित प्रकोष्ठ प्रभारियों के माध्यम से की जायेगी।
- जिला स्तरीय कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के सक्षम अधिकारियों एवं संबंधित प्रकोष्ठ प्रभारियों के माध्यम से की जायेगी।
- प्रत्येक जिले से दो केस स्टडी (संलग्न प्रपत्र) में जिला अधिकारियों द्वारा राज्य स्तर पर कार्यक्रम के दौरान ही साझा की जायेगी। इस हेतु प्रत्येक जिले के डाइट से अधिकारियों को चयनित किया जायेगा, जो इस कार्य को पूर्ण कर गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ को साझा करेंगे।
- प्रत्येक जिले से कुछ विद्यार्थियों, अध्यापकों के विडियो टेस्टीमोनियल, लिखित टेस्टीमोनियल व हाई रिजोल्यूशन फोटो (गतिविधि के विवरण के साथ) राज्य स्तर पर कार्यक्रम के दौरान साझा की जायेगी ताकि मीडिया प्रकोष्ठ को साझा की जा सके।
- प्रबल कार्यक्रम में सहयोगी संस्थाओं द्वारा अपने परियोजना क्षेत्र में आ रहे विद्यालयों में प्रबल गतिविधियों के संचालन, अवलोकन एवं दस्तावेजीकरण हेतु सहयोग करना। संस्थाएं ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर गतिविधियों के संचालन में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

(अनुपमा जोरवाल)

राज्य परियोजना निदेशक
एवं आयुक्त

क्रमांक:—रा.स्कू.शि.प./जय/गुणवत्ता/प्रबल/03654/2025—26/

दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर।
5. अति. राज्य परियोजना निदेशक—प्रथम/द्वितीय समग्र शिक्षा, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, रास्कूशिप, जयपुर।
7. उपायुक्त, पीएमश्री, रास्कूशिप, जयपुर।
8. जिला प्रभारी, समस्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. प्रोग्रामर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर को भेजकर लेख है कि दिशा—निर्देश को समग्र शिक्षा की वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
10. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
12. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
13. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
14. PEEO/UCEEO समस्त।
15. समस्त प्रधानाचार्य, पीएमश्री विद्यालय।
16. कार्यक्रम में शामिल समस्त सहयोगी संस्था प्रतिनिधि।
17. कार्यालय प्रति।